कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 2063/FP/UK/Others/29354/2017 देहरादूनःदिनॉक 25 फरवरी, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त,
मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.2 हे0 वन भूमि को नगर पंचायत, गजा को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–1820/12–1 दिनांक 16–02–2022।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव कितने वर्षों हेतु लीज पर लिया गया है इस हेतु लीज अवधि का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है, जबकि ऑनलाईन पैरा–A-I(X) में वन भूमि 30 वर्षों हेतु लिया जाना अपलोड किया गया है।
2. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–13 (वैकल्पिक समरेखण) को रिक्त दर्शाया गया है। इस परिपेक्ष्य में वैकल्पिक समरेखण का तुल्नात्मक विवरण अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
3. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्रीमती मन्जू चौहान, अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त हेतु ही श्री गम्धीर सिंह, तहसीलदार को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रारूप–30 को Other than linear श्रेणी का प्रस्ताव में संलग्न किया जाये। इसके अतिरिक्त सही प्रमाण–पत्र भी ऑनलाईन यथारथान अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रस्तावित निर्माण कार्य के ले–आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजना की kml file में ले–आउट प्लान को दर्शाते हुये पुनः संशोधित Kml file यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।
6. प्रस्ताव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (कूड़ा निस्तारण) हेतु प्रस्तावित है जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने के पश्चात प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्याः–2063 /FP/UK/Others/29354/2017 दिनॉकित।

1. प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण/समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. प्रतिलिपि :– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गजा, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक